**प्रपत्र-III**

 **{देखें नियम 54 (12) }**

 **पारिवारिक विवरण**

|  |  |
| --- | --- |
| सरकारी कर्मचारी/अधिकारी का नाम  | **:**  |
| पदनाम  | **:**  |
| जन्‍म–तिथि  | **:**  |
| नियुक्ति-तिथि  | **:**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **परिवार के सदस्‍यों के नाम** | **जन्‍म–तिथि** | **अधिकारी के साथ सम्‍बन्‍ध** | **कार्यालय प्रमुख के आद्याक्षर** | **अभ्‍युक्ति** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

मैं, एतदद्वारा उपर्युक्‍त विवरण में किसी भी प्रकार की वृद्धि अथवा परिवर्तन की सूचना लेखा परीक्षा अधिकारी/कार्यालय प्रमुख को देते हुए उक्‍त विवरण को अद्यतन रखने का वचन देता/देती हूं I

स्‍थानः

तारीखः **सरकारी सेवक के हस्‍ताक्षर**

**इस प्रयोजन के लिए ‘परिवार’ का अर्थ है :-**

1. पत्नि, पुरूष सरकारी कर्मचारी/अधिकारी के मामले में.
2. पति, महिला सरकारी कर्मचारी/अधिकारी के मामले में.
3. अठारह वर्ष से कम उम्र का पुत्र तथा इक्‍कीस वर्ष से कम उम्र की अविवाहित पुत्री, जिनमें सेवानिवृत्ति से पूर्व कानूनन गोद लिए गए पुत्र एवं पुत्री भी सम्मिलित हैं.